

न्यायालय:- देवेन्द्र साहू, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायगढ़ (छ.ग.)

विविध आदेश

क्रमांक-क्यू/सीजेएम/रि./2024

रायगढ़ दिनांक 23/11/2024


मैं देवेन्द्र साहू, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ0ग0) धारा 13 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला न्यायालय, रायगढ़ क्षेत्राधिकार में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य माह दिसम्बर - 2024 के शासकीय अवकाश के लिए निम्नानुसार रिमाण्ड ड्यूटी लगाता हूँ:-

श्रीमती नेहा यति मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़	श्री प्रवीण मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़	श्री देवापीश ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़
21/12/2024	15/12/2024	29/12/2024
श्रीमती भावना नायक ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़	कु. शीतल निकुंज न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़	कु. प्रीति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़
18/12/2024	22/12/2024	14/12/2024
श्री निलेश जगदल्ला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़	श्री सौरभ बारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़	
08/12/2024 25/12/2024	01/12/2024	

टीप:- (01) उपरोक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी तिथि को 3:00 बजे से 5:00 बजे अपने न्यायालयीन स्टॉफ के साथ अपने न्यायालय कक्ष में आवश्यक दायिद्वक कार्य सम्पादित करेंगे। यदि कोई मजिस्ट्रेट किन्हीं कारणों से रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थ रहते हैं या अवकाश लेते हैं, तो पूर्व में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे एवं रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तन के पश्चात् ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित कर मुख्यालय छोड़ेंगे।

(02) यदि किसी कारणवश कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी के दिन अवकाश पर रहता है तो कार्य विभाजन पत्र के अनुसार या अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सहमति लिया जाकर रिमाण्ड परिवर्तन किया जा सकेगा।

(03) यदि माह दिसम्बर-2024 में किसी तिथि को आकस्मिक अवकाश घोषित होती है, तो इस दशा में कु. शीतल निकुंज, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़ रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे।


23/11/2024
(देवेन्द्र साहू)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रायगढ़ (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्रमांक- क्यू./सीजेएम/2024


रायगढ़, दिनांक 23/11/2024

प्रतिलिपि:-

01. कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
02. श्रीमान् विशेष न्यायाधीश (एस सी/एस टी एक्ट)/(एफटीसी)/(पास्को एक्ट) रायगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
03. श्रीमान् प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
04. श्रीमान् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सारंगढ़/घरघोड़ा की ओर सादर सूचनार्थ।
05. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
06. पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. जिला अभियोजन अधिकारी, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
08. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, रायगढ़ जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
09. चीफ, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, रायगढ़।
10. प्रस्तुतकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. सिस्टम आफिसर, रायगढ़ को सूचना प्रेषित करने हेतु।

रायगढ़

दिनांक - 23/11/2024


(देवेन्द्र साहू)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रायगढ़ (छ.ग.)